न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः- सरिता नौशाद, जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी अपील संख्याः- 12/2016

सी.आई.एस. नम्बरः- 12/2016

सी.एन.आर. नम्बरः- RJBK130000502016

1. नारायण पुत्र स्व. मोहनलाल
2. गोपाल पुत्र देवकिशन
3. देवकिशन पुत्र रामचन्द्र(मृत्यु हो जाने से कार्यवाही अबेट)
   निवासीगण कालूबास वार्ड नं. 5, श्रीडूंगरगढ, पी.एस. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ।

-अपीलांटस/अभियुक्तगण -

बनाम

राज्य सरकार जरिये अतिरिक्त लोक अभियोजक कैम्प श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर

-रेस्पोडेन्ट-

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14-07-2016 द्वारा श्री प्रदीप कुमार ii, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ नंबरी फौजदारी प्रकरण संख्या 84,/2005 राजस्थान राज्य बनाम नारायण आदि जुर्म धारा 420,120 बी भा.द.सं.

उपस्थितिः-
1- विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सोहननाथ सिद्ध राज्य सरकार की ओर से।
2- विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनलाल सोनी अपीलांटस की ओर से।
3-विद्वान अधिवक्ता श्री लेखराम चौधरी परिवादी पक्ष की ओर से।

निर्णय दिनांकः- 10-04-2026

1- यह अपील श्री प्रदीप कुमार ii, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ के द्वारा पारित निर्णय 14-07-2016 के विरूद्ध पेश की गई। इस निर्णय द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ ने अपीलांटस/अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120 बी भा.द.सं.

के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर प्रत्येक को धारा 420 भा.द.सं. में एक वर्ष का कठोर करावास व दो हजार रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से व धारा 120बी भा.द.सं. में एक वर्ष का कठोर करावास व दो हजार रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटस/अभियुक्तगण नारायण आदि ने उक्त अपील प्रस्तुत की है।

2- प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी हनुमानाम ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक परिवाद प्रदर्श पी02 दिनांक 15.06.1996 को पेश कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण एक ही परिवार के है तथा श्रीडुंगरगढ में मैसर्स रामचन्द्र मोहनलाल के नाम से अनाज का लेनदेन करते है। दिनांक 10.02.1996 को परिवादी ने अभियुक्तगण की उपस्थिति में 150 बोरी ग्वार 960 रूपये प्रति क्विंटल के भाव से बेचने का सौदा (संविदा) किया और 20,000/- रूपये अग्रिम प्राप्त कर अभियुक्त संख्या 01 नारायण ने एक रूका लिखाकर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी को दे दिया एवं एक कार्बन कॉपी अपने पास रख ली।

4- यह ग्वार दिनांक 17.02.1996 को तुलवाना था एवं बाकी राशि की भुगतान करना था। रूका की छायाप्रति अभियोग पत्र के साथ संलग्न है। दिनांक 17.02.1996 को अभियुक्त संख्या 02 गोपाल परिवादी के पास उसके गांव की कीतासर भाटियान आया और ग्वार मांगा। परिवादी उसे ग्वार तुलवाने के लिए ग्राम धीरदेसर चोटियान में कुशलाराम पुत्र फागूराम जाट के घर ले गया जहां परिवादी ने ग्वार इक्कठ्ा कर रखा था। दिनांक 17.02.1996 को दोपहर 03 बजे तक परिवादी ने अभियुक्त संख्या 02 गोपाल को 150 बोरी ग्वार जिसमें 85 बोरी काला दाना व 65 बोरी सफेद दाना कुल 150 बोरी कुशलाराम और अर्जुनराम, पेमाराम पुत्र कोदूराम जाति जाट निवासीगण धीरदेसर चोटियान के सामने तोलकर उसके किराये पर किये गये ट्रक में लोड करवा दिया। अभियुक्त संख्या 02 ने परिवादी को उसी समय एक रसीद लिखकर अपने हस्ताक्षर करके दे दी एवं बाकी राशि का भुगतान श्रीडुंगरगढ से लेने का कहकर ग्वार ले गया। परिवादी ने पहले भी कई बार अनाज अभियुक्तगण की दुकान को बेचा था, जिसका भुगतान बाद में लिया था। इसलिये परिवादी ने अभियुक्तगण पर विश्वास कर लिया।

5- इसके 10 दिन बाद अभियुक्तगण की दुकान पर परिवादी ने बकाया राशि की मांग की तो अभियुक्तगण ने कहा कि जोधपुर से भुगतान नहीं आया है, आने पर देंगे। इस प्रकार परिवादी तीन-चार बार जब भी अभियुक्तगण की दुकान पर जाकर रूपयों की मांग की तो वे टालमटोल करते

रहे और काफी समय निकालने पर भुगतान नहीं किया तो परिवादी पर ग्वार के मालिक कुशलाराम, पेमाराम, अर्जुनराम व मूलाराम का दबाव पड़ा। फिर दिनांक 30.04.1996 को उन्हें साथ लेकर अभियुक्तगण की दुकान पर गया और भुगतान की मांग की तो अभियुक्तगण ने 15 दिन का समय अंतिम रूप से और मांगा। दिनांक 15.05.1996 को परिवादी अपने भाई उमाराम, सुगनदास स्वामी निवासी कीतासर को साथ लेकर अभियुक्तगण की दुकान पर गया तो अभियुक्तगण नाराज हो गये और कहा कि बार-बार हमारी दुकान पर आदमी लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे करोगे तो हमें रूपये देने आते है और अभियुक्तगण ने परिवादी को मुकदमा करने की धमकी दी इसके बाद दिनांक 17.05.1996 को अभियुक्तगण के प्रभाव में आकर एएसआई गुरूदीपसिंह से षड्यंत्र कर दिन निकलने से पूर्व ही परिवादी को सोये हुए को जगाकर थाने ले जाकर परिवादी के साथ गुरूदीपसिंह एएसआई ने मारपीट की तथा देवकिशन के सामने बकाया राशि की भरपाई के लिए दबाव डाला। जब परिवादी ने भरपाई करने से इंकार हो गया तो परिवादी को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहां उसकी जमानत हुई। मारपीट की वजह से परिवादी का चलना मुश्किल हो गया, इसलिये परिवादी अपने गांव आ गया।

6- दिनांक 20.05.1996 को अभियुक्त संख्या 03 देवकिशन ने परिवादी पर एम झूठा मुकदमा अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता का बनाया जिसमें परिवादी ने अपनी अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां अभियुक्तगण ने एक फर्जी बही बनाकर पेश की जिसमें परिवादी के दिनांक 10.02.1996 के सौदे (संविदा) का अपनी बही में दिनांक 16.02.1996 को ही 1500 रूपये का लाभ देकर हिसाब समाप्त करना दिखा रहा था। दिनांक 01.05.1996 को बही में एक फर्जी 100 बोरी ग्वार का सौदा बताकर 95,000/- रूपये नकद देना लिख रखा था व अपनी दुकान के लेटर पेड पर भी लिखावट कर रखी थी, जबकि दिनांक 01.05.1996 को परिवादी ने अभियुक्तगण से ना तो 95,000/- रूपये लिये व ना ही ग्वार बेचने का सौदा किया व ना ही लेटर पैड पर दस्तखत किये। अभियुक्तगण द्वारा अपनी बही की प्रविष्टि में दिनांक 16.02.1996 से सौदा (संविदा) समाप्त करना दिखाये जाने से स्पष्ट हो गया है कि दिनांक 17.02.1996 को अभियुक्तगण ने दुर्भावनापूर्वक परिवादी को छलपूर्वक धोखा देने के लिए ग्वार प्राप्त किया एवं प्रतिवादी के बकाया 1,24,000/- रूपये हड़प करने के लिए परिवादी के साथ धोखाधड़ी की और इस धोखाधड़ी के लिए दिनांक 16.02.1996 को अपनी बही में फर्जी प्रविष्टि दर्ज कर मूल्यवान प्रतिभूति जिसके तहत वे अपने भुगतान की जिम्मेदारी से बचने के लिए

कूटरचना की और परिवादी पर नाजायज दबाव डालने के लिए दिनांक 01.05.1996 को झूठी फर्जी प्रविष्टि की व फर्जी दस्तावेज तैयार किये। षड्यंत्र कर परिवादी के 1,25,000/- रूपये देने से इंकार कर छल किया। उक्त मूल्यवान प्रतिभूति को दिनांक 16.02.1996 को भुगतान से बचने के लिए प्रयोग में लिया।

7- उपरोक्त परिवाद को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना श्रीडुंगरगढ को भेजा जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 162/1996 अंतर्गत धारा 120बी, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की गई। बाद अनुसंधान एस.एच.ओ. पुलिस थाना श्रीडुंगरगढ की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.07.2020 को अदम वकु झूठ में पेश की जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 14.11.2002 को नाराजगी याचिका पेश की गई तथा प्रोटेस्ट पीटिशन के समर्थन में परिवादी हनुमानाराम के बयान अंतर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता व सबूत सरसरी में गवाह कुशलाराम, अर्जुनराम, मूलाराम, सुगनदास, उमाराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये। जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 120बी भारतीय दंड संहिता का दिनांक 05.05.2005 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात दिनांक 25.09.2012 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 120बी और 420 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक रूप से विरचित कर सुनाया गया। जिस पर अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर अंवीक्षा चाही जिस पर अभियोजन साक्ष्य तलब की गई।

8- अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 शंकरलाल, पी.ड.02 कुशलाराम, पी.ड.03 मूलाराम, पी.ड.04 अर्जुनराम, पी.ड.05 हनुमानाराम, पी.ड.06 सुगनदास, पी.ड.07 पेमाराम, पी.ड.08 उमाराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

9- अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी01 रूका, प्रदर्श पी02 इस्तगासा, प्रदर्श पी01 गोपाल के धीमी गति के हस्ताक्षर, प्रदर्श पी01ए गोपाल के धीमी गति के हस्ताक्षर, प्रदर्श पी02 गोपाल के मध्यम गति के हस्ताक्षर, प्रदर्श पी02ए गोपाल के मध्यम गति के हस्ताक्षर, प्रदर्श पी03 व पी03ए गोपाल के तेजगति के हस्ताक्षर, प्रदर्श पी04 नमूना लिखावट गोपाल धीमी गति, प्रदर्श पी05 व पी05ए नमूना लिखावट गोपाल मध्यम गति, प्रदर्श पी05बी नमूना लिखावट गोपाल मध्यम गति, प्रदर्श पी06, 06ए, 06बी नमूना लिखावट गोपाल तेज गति को प्रदर्शित करवाया गया है।

10- बयान मुल्जिम् अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लिये गये तो अभियुक्तगण ने गवाहान के कथन गलत होना बताया व साक्ष्य-सफाई पेश करना चाही परंतु पेश नहीं की। तत्पश्चात बहस अंतिम सुनी जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2016 को पारित किया जाकर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को धारा 420, व 120 बी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व 2000-2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया जिस पर अपीलार्थीगण ने हस्तगत अपील पेश की। दौराने अपील विचारण अपीलार्थी/अभियुक्त देवकिशन पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही अबेट की गई है।

11- आज पत्रावली बहस अपील हेतु नियत है, इसी स्तर पर परिवादी हनुमानाराम व अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण नारायण व गोपाल ने बाद अनुमति न्यायालय भा.द.सं. की धारा 420 के आरोप हेतु राजीनामा पेश किया जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 420 भा.द.सं. के आरोप में बरूवे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। अब प्रकरण में अपील का निस्तारण धारा 120बी भा.द.सं. की हद तक किया जाना शेष है जिसके संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि पत्रावली पर धारा 120बी भा.द.सं. के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तथा ना ही परीक्षित गवाहान के कथनों से धारा 120बी भा.द.सं. के आरोप की पुष्टि होती है। अतः अपील धारा 120बी भा.द.सं. की सीमा तक स्वीकार कर दंडादेश अपास्त करने का निवेदन किया।

12- इसके विपरीत जवाब बहस में विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी श्री लेखराम चैधरी का कथन है, कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि-अनुसार निर्णय पारित किया जाकर अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध घोषित किया गया है। अतः धारा 120बी भा.द.सं. में की गयी दोषसिद्धी को बहाल रखा जाकर अपील खारिज की जावें।

13- उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय को यह देखना है कि क्या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ़ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-07-2015 में धारा 120बी भा.द.सं. की हद तक कोई विधिक त्रुटि है या नहीं?

14- विचारण न्यायालय की पत्रावली पर विद्यमान मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो पत्रावली पर आपराधिक षड़यंत्र बाबत साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में परीक्षित गवाहान परिवादी पी.ड.05

हनुमानाराम व गवाह पी.ड.01 शंकरलाल, पी.ड.02 कुशलाराम, पी.ड.03 मूलाराम, पी.ड.04 अर्जुनराम, पी.ड.06 सुगनदास, पी.ड.07 पेमाराम, पी.ड.08 उमाराम के बयानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए तो इनके कथनों से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने परिवादी हनुमानाराम को आपराधिक षड़यंत्र के तहत ग्वार बेचा हो या ग्वार के संबंध में संविधा की हो यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी बाद अनुसंधान मामल सिविल नेचर का होना प्रमाणित पाया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रदर्श पी 1 पर्ची के अलावा कोई भी लिखापढी की पर्ची परिवादी द्वारा पेश करके प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। प्रदर्श पी 2 से प्रदर्श पी 6 नमूना हस्ताक्षर व लिखावट है। इसके अलावा कोई दस्तावेज अभियोजन की ओर से साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में पत्रावली पर विद्यमान मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य पूर्ण ठोस व अकाट्य होना आवश्यक है। चूंकि मूल अपराध अन्तर्गत धारा 420 भा.द.सं. में राजीनामा हो चुका है। अतः सह धारा 120बी भा.द.सं. का अपराध भी अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध एतदद्वारा नहीं बनना पाये जाने से अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण अपराध अन्तर्गत धारा 120बी भा.द.सं. के तहत दोषमुक्त योग्य है। परिणामस्वरूप पक्षकारान के मध्य अपील स्तर पर राजीनामा हो जाने से विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

आदेश

15- अतः अपीलांटस/अभियुक्तगण नारायण पुत्र स्व. मोहनलाल गोपाल पुत्र देवकिशन निवासीगण कालूबास वार्ड नं. 5, श्रीडूंगरगढ, पी.एस. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर की ओर से प्रस्तुत फौजदारी अपील विरूद्ध राजस्थान राज्य स्वीकार की जाकर अपीलांटस/अभियुक्तगण नारायण व गोपाल को धारा 120बी भा.द.सं. के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है- एवं विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ के द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 14-07-2015 की अपीलांटस/अभियुक्तगण नारायण व गोपाल को धारा 120बी भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किए जाने का अपास्त किया जाता है । अपीलांटस/अभियुक्तगण नारायण व गोपाल को धारा 420 भा.द.सं. के आरोप में बरूवे राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है। अपीलांट/अभियुक्त देवकिशन पुत्र रामचन्द्र की दौराने विचारण अपील मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही अबेट की गई है।

16- अपीलांटस/अभियुक्तगण नारायण व गोपाल के न्यायालय में

नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि द.प्र.सं. की धारा 437-ए के तहत प्रत्येक अभियुक्त दस हजार रूपये के जमानत-मुचलके पेश कर तस्दीक कराए कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जायेगे। विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय को लौटाई जाए।

(सरिता नौशाद)
अपर सेशन न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

17- निर्णय आज दिनांक 10-04-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)
अपर सेशन न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

-